SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महात्मा गाँधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन

सुनील कुमार वर्मा, इतिहास विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
सुनील कुमार वर्मा, इतिहास विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

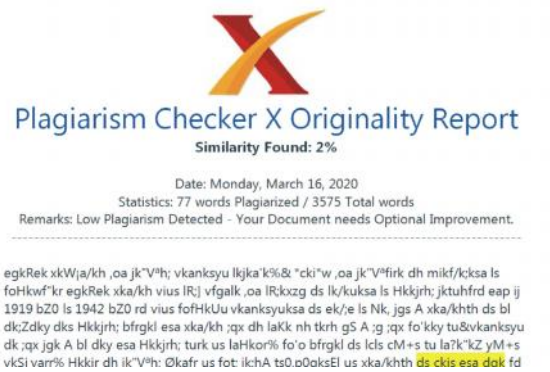

Received on : 16/03/2020
Revised on : -----
Accepted on : 24/03/2020
Plagiarism : 02% on 16/03/2020

सारांश :–

'बापू' एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से विभूषित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ई0 से 1942 ई0 तक अपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से छाए रहे। गांधीजी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। यह युग विशाल जन–आंदोलन का युग रहा। इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन संघर्ष लड़े और अंततः भारत की राष्ट्रीय क्रांति ने विजय पायी। **जे.एच.होम्स** ने गांधीजी के बारे में कहा कि ''गांधीजी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड, वाशिंगटन तथा लैफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र निर्माता थे।'' उन्होंने विलबरफोर्स गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे सेंट फ्रांसिस एवं टॉलस्टॉय की अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध, ईसा तथा जरथुस्त की तरह आध्यात्मिक नेता थे। गांधीजी भारत के उन को चमकते हुए सितारों में से एक थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधीजी के सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध '**सिविल डिसऑविडिएंस**' से मिली और इसका प्रथम प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाने वाले कानून के विरोध में किया था। जब गांधीजी भारत आए तो यहां के स्वाधीनता आंदोलन में उसी सत्याग्रह के साधन के तीन रूपों का प्रयोग उन्होंने किया, जिसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की संज्ञा दी। 1920–21 ई0 में चलायें गये 'असहयोग आंदोलन' में गांधीजी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रत्येक क्षेत्र में भारत द्वारा असहयोग का आह्वान किया। सविनय '**अवज्ञा आंदोलन**' (1930–34) के तहत जनहित के विरूद्ध निर्मित नमक कानून को तोड़ने के निर्मित '**डांडी मार्च**' किया। 1940–41 ई0 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सत्याग्रह सत्याग्रह के लिए आहत किया। ऐसे प्रथम सत्याग्रही विनोवा भावे जी थें।

गांधीजी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग 1917 ई0 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन हेतु किया था।

15 मार्च,1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी ने '**भूख हड़ताल**' को एक साधन के रूप में सत्याग्रह के अंतर्गत अपनाया जबकि 22 मार्च 1918 को गुजरात में खेड़ा के किसानों के सत्याग्रह में गांधी जी ने 'लगान न देने' का सुझाव देकर सत्याग्रह को सफल बनाया। इन अनुभवों ने गांधीजी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनकें हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एक आकर कर लिया था। जल्द ही वे भारत राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही के प्रतीक बन गए । गांधीजी को तीन दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। इनमें पहला था हिंदू–मुस्लिम एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना।

प्रस्तावना :–

'बापू' एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से विभूषित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ई0 से 1942 ई0 तक अपने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से छाए रहे। गांधीजी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग की संज्ञा दी जाती है । यह युग विशाल जन–आंदोलन का युग रहा । इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन संघर्ष लड़े और अंततः भारत की राष्ट्रीय क्रांति ने विजय पायी। गांधीजी के सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध 'सिविल डिसऑविडिएंस'से मिली और इसका प्रथम प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण करवाने वाले कानून के विरोध में किया था। जब गांधीजी भारत आए तो यहां के स्वाधीनता आंदोलन में उसी सत्याग्रह के साधन के तीन रूपों का प्रयोग उन्होंने किया, जिसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की संज्ञा दी। 1920–21 ई0 में चलायें गये 'असहयोग आंदोलन' में गांधीजी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रत्येक क्षेत्र में भारत द्वारा असहयोग का आह्वान किया। सविनय 'अवज्ञा आंदोलन' (1930–34) के तहत जनहित के विरूद्ध निर्मित नमक कानून को तोड़ने के निर्मित 'डांडी मार्च' किया। 1940–41 ई0 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सत्याग्रह सत्याग्रह के लिए आहत किया। ऐसे प्रथम सत्याग्रही विनोवा भावे जी थें।

मुख्य शब्द :–

सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, जन आंदोलन, असहयोग, राष्ट्रवादी, समाजिक, सम्प्रदाय, मुद्राणालय।

गांधीजी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग 1917 ई0 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन हेतु किया था। 15 मार्च,1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी ने 'भूख हड़ताल' को एक साधन के रूप में सत्याग्रह के अंतर्गत अपनाया जबकि 22 मार्च 1918 को गुजरात में खेड़ा के किसानों के सत्याग्रह में गांधी जी ने 'लगान न देने' का सुझाव देकर सत्याग्रह को सफल बनाया। इन अनुभवों ने गांधीजी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनकें हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एक आकर कर लिया था। जल्द ही वे भारत राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही के प्रतीक बन गए । गांधीजी को तीन दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। इनमें पहला था हिंदू–मुस्लिम एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्श और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना।

शोध उद्देश्य :–

महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका के योगदान को उजागर करना तथा विभिन्न स्रोतों के आधार पर महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, सत्याग्रह आंदोलन एवं राजनीतिक परिवर्तनों को उजागर करना।

शोध विधि :–

मैंने इस शोध विधि में विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक व्याख्या की है । इसके लिए द्वितीयक स्रोत का सहारा लिया हूँ । साथ ही प्रकाशित ग्रंथ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे लेख, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध कार्य एवं इंटरनेट का सहारा लिया गया है ।

शोध विश्लेषण :–

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी की विचारधारा का सैद्धांतिक आधार सत्य और अहिंसा था भारत की शिक्षा के बाद गांधीजी तीन वर्षों के लिए इंग्लैंड में रखकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। इसके बाद भारत में लौटकर राजकोट एवं मुंबई में वकालत की। 1893 ई0 में एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्लाह के मुकदमा के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां गांधीजी को ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेजों ने जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया। जिससे गांधी जी की जीवन यात्रा की दिशा बदल गई। जिस कारण गांधीजी ने रंग भेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने 1913 ई0 में गिरमिटिया प्रथा के विरूद्ध 'सत्याग्रह आंदोलन' शुरू किया। जिसके 1914 ई0 में सफलता मिली इसी सफलता से उत्साहित होकर 9 जनवरी 1915 ई0 को बम्बई वापस आ गये। इसी तिथि को भारत सरकार 'प्रवासी भारतीय दिवस' के रूप में मनाती है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1894 – 1914 ई0 तक लोगों के विरूद्ध ब्रिटिश सरकार के विरोध में अहिंसक आंदोलन छोड़ा और अपने उद्देश्य में सफल हुए। जब 1915 ई0 में भारत लौट कर आये। भारत में उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में देखी थी और जिसके विरोध में उन्हें अहिंसक आंदोलन सूत्रपात किया था। महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत उनकी दमनकारी नीति और उनके शोषण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह की तकनीकी को एक प्रभावशाली हथियार के रूप में अपनाया जिस कारण गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वह अल्फ्रेड, वाशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होनें विलवर फोर्स, गैरिसन और लिंकन की भांति भारत को दासता से मुक्त कराने का काम किया।

वे सेंट फ्रांसिस एवं टॉलस्टाय के अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध ईसा तथा जरथुस्त की तरह आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी भारत के उन चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय की शुरुआत गांधीजी ने 1917 ई0 में बिहार के चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन अधिकारी के अत्याचारों के विरोध में प्रथम सत्याग्रह किया। सत्याग्रह आंदोलन में दो प्रमुख तत्वों को चिन्हित थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा से जन्मी शक्ति आत्मा की शक्ति होती है। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि सत्याग्रही, भय, घृणा और असत्य से दूर रहे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य की खोज और उसका आग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। गांधीजी के अनुसार एक सत्याग्रही में निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य निडरता, अपरिग्रह चोरी ना करना, श्रम करना, सभी धर्मों का समान आदर देना। छुआछूत न मानना तथा स्वदेशी अपनाना आदि। वास्तविक सत्यग्राही ईश्वर का आदमी होता है। 1919–1947 ई0 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसका प्रथम उदाहरण 1920–1922 का असहयोग आंदोलन तथा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 1942 ई0 का भारत छोड़ो आंदोलन था। गांधीजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के समय दो विपरीत दिशाओं में प्रभावित हो रही थी। एक ओर मोतीलाल, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट आदि नरमपंथी लोग वैधानिक तरिके से स्वतंत्र प्राप्ति हेतु संघर्षरत् थे। तो दूसरी ओर बाल, पाल, लाल सदृश, गरमपंथी स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार थें। तीसरा दल क्रान्तिकारियों का था। जो अंग्रेजों से वैधानिक सुधार की अपेक्षा भिक्षावृत्ति मानते थे और अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए त्याग, आत्मोत्सर्ग और सभी उपायों की

उचित मानते थे। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजी की फूट डालो और शासन करो की नीति और उनकी विपुल शक्ति के आगे भारतीय सशस्त्र–संघर्ष से अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकेगे। इसलिए उन्होने अहिंसक अत्याचार का मार्ग अपनाया। 1917–1918 ई0 के मध्य गांधी जी नें चम्पारण सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह एवं मिल मजदूर की मजदूरी 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी में इसी नयें अस्त्र के सहारे सफलता प्राप्त की। जुलाई 1920 ई0 को महात्मा गांधी ने वायसराय को औपचारिक तौर पर यह सूचित कर दिया कि वे दो मुद्दे पर सत्याग्रह प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्की के सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य के शासक को खलीफा (मोहम्द साहेब का उत्तराधिकारी) माना जाता था अंग्रेजों ने उनके अधिकार क्षेत्र (खिलाफत) को इस सीमा तक कम कर दिया कि इस्लाम के अनेक पवित्र स्थान तुर्की से छीन लिए गये। भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों को इस कृत्य के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। जिस समय संपूर्ण विश्व में हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी उस समय पंजाब के जालियांवाला बाग में किए गये अमृतसर के 1919 ई0 जघन्य हत्याकाण्ड। गांधीजी ने महसूस किया कि इन दोनों मुद्दे को एक साथ मिलाकर यदि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाए तो इससे ना केवल हिंदू–मुस्लिम एकता मजबूत होगी वरन् अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ई0 को प्रारंभ किया गया। यधपि सितंबर 1920 में कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट, चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू तथा सिन्हा जैसे सभी बड़े नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस के ये नेता विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं काउंसिलों का बहिष्कार करने के विरुद्ध थे तथापि गांधी जी ने अपनी प्रगतिशील, अहिंसक एवं असहयोग की नीति को मनवाने में सफल रहें। गांधीजी ने अपने इस आंदोलन को 'शांति–पूर्ण' तख्तापलट की संज्ञा दी और देशवासियों से सरकार के प्रत्येक कानून का पालन ना करने की अपील की। इस आंदोलन के जरिए वे तिलक कोष में एक करोड़ रुपए की धनराशि जमा करना चाहते थे ताकि आगे के दिनों में असहयोग आंदोलन का खर्चा चलाया जा सके। साथ ही वे एक करोड़ स्वयंसेवकों को ऐसा समूह बनाना चाहते थे कि जो सामाजिक, शैक्षणिक, विधिक एवं आर्थिक स्तर पर अनेक प्रकार के बहिष्कार कार्यक्रमों को चला सके। इस आंदोलन को प्रारंभिक रूप से व्यापक सफलता मिली। तिलक कोष में लक्ष्य से अधिक धनराशि जमा हुई। मोतीलाल नेहरू, चितरंजनदास, राजेंद्र प्रसाद, रामगोपालचारी जैसे नामीगिरामी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इससे प्रेरित होकर देश के विभिन्न भागों में अदालतों का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों द्वारा संचालित महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का बहिष्कार किया विदेशी वस्तुओं तथा अन्य उपभोक्ताओं वस्तुओं का बहिष्कार किया गया स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भावना जागृत हुई। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया जैसे स्वदेशी संस्थाएं स्थापित हुई ।

एक वर्ष में ही असहयोग आंदोलन ने सारे भारत में जनजागृति पैदा कर दी। हिंदू– मुस्लिम एकता के लिए इस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। नीतिकारों का मानना है कि यदि चोरी–चोरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाकर सिपाहियों को जिंदा जलाने जैसी हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस न लिया होता तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास की तस्वीर कुछ दूसरी ही होती। इस प्रकार असहयोग आंदोलन अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति से गांधी जी के स्थगन आदेश के कारण भारत लाभान्वित न हो सका, बल्कि गांधीजी के इस आदेश से सरकार जो अब कहानी थी सरकार जो अब तक गांधीजी को गिरफ्तार करने का साहस ना कर सकी थी अचानक बलशाली हो उठी। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित करना ही संभवतः गांधी जी की भूल थी क्योंकि इन दोनों आंदोलनों की प्राकृति में भिन्नता थी। एक पूर्णतया राष्ट्रीय आंदोलन था व दूसरा धार्मिक। असहयोग आंदोलन से अनेक लाभ भी हुए। पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्रों के स्थान पर एक कठोर कदम उठाया तथा कांग्रेस, इस आंदोलन के द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन में जन समूह का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गयी। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह आंदोलन मात्र शिक्षित वर्ग तक सीमित रहने

वाला आंदोलन न था। यह आम जनता का आंदोलन बन गया जिसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय सरकार को चिंता में डाल दिया। कपलैण्ड ने लिखा ''गांधीजी ने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ लोकप्रिय भी बना दिया अभी तक आंदोलन नगरों तक सीमित था। अब यह ग्रामीण जनता तक पहुंच गया। गांधीजी के व्यक्तित्व ने भारतीय ग्रामों में में जागृति उत्पन्न कर दी थी।

इस देशव्यापी आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि जनता अब और अत्याचार सहन नहीं करेगी। इस प्रकार गांधीजी इस आंदोलन के द्वारा भारत की जनता को स्वराज प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधने में सफल रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार श्रेय गांधीजी को फरवरी 1930 के साबरमती एक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्राप्त हुआ था। 12 मार्च, 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर समुद्र तट कर पड़े को उठाकर तथा नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी का यह आंदोलन सारे देश में सरकार के प्रबल विरोध व दमन के बावजूद नमक लाने तथा बनाने, मदिरायलों तथा अफीम की दुकानों को बंद कराने विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों को का बहिष्कार करने तथा उन पर धरना देने विदेशी वस्त्र जलाने, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने, सरकारी बैकरियों का परित्याग करने तथा सरकार की लगान तथा करो का भुगतान न करने का आह्वान किए जाने के साथ ही आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन ने सारे राष्ट्र को आंदोलित कर दिया था। गांधीजी के निर्देशों का पालन संपूर्ण देश की जनता ने किया। कोलकाता, मद्रास, पुणे, पटना, शोलापुर, करॉची, पेशावर, दिल्ली आदि नगरों में सभाओं धरनो बहिष्कार आदि का आयोजन किया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विदेशी वस्तुओं का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ। संयुक्त प्रांत बंगाल, पंजाब, मद्रास, बिहार मुंबई आदि प्रांतों के विधान मंडलों के अन्य सदस्यों ने त्यागपत्र दिए तथा अदालतों का बहिष्कार किया। मध्य प्रांत में वनकर के विरोध मे जन आंदोलन हुआ और कर्नाटक में कर देने के विरोध में तीव्र आंदोलन हुआ। कृषकों ने सरकारी कर्जो तथा लगान देने से मना कर दिया। सरकार नें आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाएं और बेहिसाब दमन चक्र का सहारा लिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई लोगों को मारा भी गया गांधीजी भी गिरफ्तार कर लिए गए गांधीजी के गिरफ्तार होने के पश्चात् अब्बास तैयबजी तथा सरोजिनी सरोजिनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इतिहासकारों का मानना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत में कृषक आंदोलन को एक नया जीवन एवं स्फूर्ति प्रदान किया। आंदोलन के दौरान कृषकों से कहा गया था कि वे सरकारी कर्जो तथा लगान का भुगतान सरकार को न करें और यदि कर्जो तथा लगान को वसूल करने के क्रम सरकार कर्मचारी किसी कृषि कृषक को तंग करें सभी कृषक संगठित होकर उसका विरोध करें। इस कारण से कृषकों में संगठित होने की भावना प्रबल हुई और देश के हर भाग में कृषक आंदोलन उग्र हुए तथा वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न हिस्सा बन गए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव ने कृषको में भय की भावना का लोप कर दिया तथा कृषको को में एक नया विश्वास एवं त्याग की भावना पैदा कर दी। सरकारी दमन के बावजूद इस आंदोलन के दौरान कृषको सहित अधिकांश भारतीय जनमानस पूरे उत्साह के साथ आंदोलन से जुड़ा रहा और पीछे नहीं हटा ।

भारतीय जनमानस की इस बहादुरी को देखते हुए ''लुई फिशर'' ने कहा था कि ''इंग्लैंड शक्तिरहित हो गया और भारत अजय हो गया।'' भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आनंद एक महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं कारणों से माना जाता है। 1930 ई0 में गांधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ किया गया तथा 31 जनवरी 1931 तक वह घोषणा करते रहे कि सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होगा किंतु उदारवादी नेताओं विशेषकर तेजबहादुर सप्रु, एम0आर0 जयकर आदि के प्रयास तथा व्यापारिक हितों के दबाव के चलते 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। इस समझौता के अनुसार का कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया। वह द्वितीय गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गये। बहिष्कार कार्यक्रम को वापस लेने तथा पुलिस क्रुरता की जांच की मांग

त्यागना समझौता के अंतर्गत ही हुआ। दूसरी ओर सरकार ने दमनात्मक अध्यादेशों और मुकदमों को वापस देने का वचन दिया। उसने अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़े राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, कुर्क की गई संपत्ति को यदि वह निलाम ना हो तो वापस करने तथा विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना के अधिकार को स्वीकार किया। ज्ञातव्य है कि गांधी– इरविन समझौता को कांग्रेस को एक वर्ग ने जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थें। काफी दन्द्ध के बाद करांची अधिवेशन में स्वीकार किया था।

पूना समझौते के बाद गांधी जी ने खुद को पूरी तरह से हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1932 ई. में 'अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग' की स्थापना की। साथ ही 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। उनका यह आंदोलन समाज से अस्यपृश्यता मिटाने के लिए था। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। हरिजन आंदोलन में मदद के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया था। दलितों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन से उनका तात्पर्य था ईश्वर का आदमी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिस्थितियों और ब्रिटिश सरकार के रवैये से परेशां होकर 1942 ई० में महात्मा गाँधी के निर्देशन में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा मुंबई अधिवेशन में पारित कर दिया गया। गाँधी जी ने सन्देश दिया – करो या मरो, भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गये। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कठोरता से इसका दमन कर दिया, परन्तु गाँधी जी के इस आन्दोलन ने स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। महात्मा गाँधी की राजनीति एक नये प्रकार की राजनीति थी। इसमें कुटिलता और हिंसक तरीकों का त्याग कर नैतिकता का समावेश किया गया था। गाँधी जी ने सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह का महान विचार विश्व के सम्मुख रखा। सत्याग्रह का आन्दोलन करते हुए ही गाँधी जी ने स्वाधीनता की नैतिक लड़ाई लड़ी। गाँधी जी ने कहा था – सत्याग्रह का अर्थ है – सत्य से छिपते रहना। सत्य की शक्ति प्रेम या आत्मिक शक्ति है।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गाँधीजी के अनवरत और अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी मिली। गांधीजी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, प्रेम, त्याग, बलिदान, दान, समानता एवं उदारता का एक विनयशील संयोग का प्रयोग किया है। यह सिद्धांत राष्ट्रीयता के पोशक के साथ–साथ गांधीजी का स्वदेशी सर्वोदय है अहिंसा और सत्याग्रह के मूल मंत्र ने भारतवर्ष को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ सूची :–

1. गांधी, एम. के.,(1949), आटोवायोग्राफी दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटस विद टुथ, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृष्ठ– 732
2. कुमार, विजय, (2007), गांधी द मैन हिज लाईट एण्ड विजन, रीजल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ– 50,63
3. सिंह, एम. के, (2010), महात्मा गांधी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, रजत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–169, 223।
4. जैन, कैलाश चन्द्र, (2006), भारत का राश्ट्रीय आंदोलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन, नई दिल्ली, पृष्ठ– 382, 425।
5. फारूथी, आर. के, (2008), आधुनिक भारत 1919–1939 ई0, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ– 266, 268।

6. नंदा, बी.आर. प्रकाश, (2008), महात्मा गांधी ए बायोग्राफी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ– 97,103।

7. पाठक, रश्मि, (2010), भारत में अंग्रेजी राज, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ– 382, 425।

8. चंद्रा, विपिन, (2015), आधुनिक भारत का इतिहास, गेलेरियस प्रिंटर्स नई दिल्ली, पृष्ठ– 289, 329।

9. धवन, एम. एल., (2008), भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संघर्ष 1857–1947 ई0, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ– 329, 289।

****